

स्वच्छता मन को संतोष और शहर को खुशहाली देगी

स्वच्छ सर्वेक्षण.2022 के तहत डोर टू डोर कचरा निपटान के तरीके समझाए गए शहर के अनेक स्थानों पर आकर्षक रांगोली के माध्यम से दिया स्वच्छता का संदेश रतलाम 16 नवम्बर । भारत का अगर हर एक शहरए गांवए सडकेए गलियां साफ सुथरी होंगी तो हमारा वातावरण भी शुद्ध रहेगा जिससे लोग बीमार कम पड़ेंगे और इससे देश के आर्थिक विकास में भी सहायता होगी। इसी सिद्धान्त के तहत भारत सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान की नींव रखी। स्वच्छ भारत अभियान से हमारा देश केवल स्वच्छ ही नहीं होगाए इससे देश में हर तरफ खुशहाली आएगी और लोग खुश रहेंगे। क्योंकि अगर हमारे आसपास की जगह साफ सुथरी होगी तो हम भी खुश रहेंगे।

उक्त विचार नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने मंगलवार को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के तहत आयोजित विभिन्न जागरुकता गतिविधियों के दौरान व्यक्त किए। इस मौके पर सफाई मित्र समूह ने शहर के एक दर्जन से ज्यादा स्थानों पर रांगोलियों के माध्यम से स्वच्छता का संदेश भी दिया। वही कई क्षेत्रों में डोर टू डोर लोगों से सम्पर्क कर उन्हे कचरे निपटान के सही तरीकों से अवगत कराया।

इस मौके पर श्री झारिया ने कहा कि हम सभी के तमाम प्रयासों के बावजूद कुछ प्रतिशत हिस्सों में सफाई पर ध्यान नहीं दिया जाता है। जिसकी वजह के उन इलाकों में बीमारिया बढ़ती जा रही है इस समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत गीलेए शुष्क और खतरनाक अपशिष्ट को अलग करनेए गीले अपशिष्ट के निपटान की प्रक्रियाए गीले और शुष्क अपशिष्ट का निपटान और पुनर्चक्रणए निर्माण मलबा का निस्तारणए कचरा स्थल पर फेंके जाने वाले कचरा की मात्रा और शहरों की सफाई की स्थिति पर गौर किया जाएगा । जिससे शहरप्रदेश और देश को स्वच्छ रखा जा सके।

श्री झारिया ने बताया कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 मिशन सीधे राष्ट्र के आर्थिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ हैए सरकार द्वारा किये जाने से इस मिशन की उपलब्धि न केवल देश की जीडीपी वृद्धि में योगदान करेगी बल्कि स्वास्थ्य लागत को भी कम करेगीए संदेह के बिना स्वच्छता देश के वैश्विक हितों के साथसाथ पर्यटन से भी

जुड़ी है देश की वैश्विक धारणा को बदलने के लिए देश के लिए स्वच्छता और स्वच्छता के उच्चतम मानकों को प्रदर्शित करना अनिवार्य है

उन्होंने नागरिकों से आवाहन किया है कि घर और दुकानों से निकले कचरे का निपटान कचरा संग्रहण वाहन के अलग-अलग हिस्सों में ही करे। स्वच्छता के प्रति नागरिकों की जागरूकता जरूरी है तभी हम अपने शहर को देश में स्वच्छता के मामले में नम्बर.1 बना पाएंगे।

इस अवसर पर स्वास्थ्य अधिकारी जीके जायसवाल, झोन अधिकारी एपीसिंह, किरण चौहान, पर्वत हाड़े, विनय चौहान सहित सफाई मित्र समूह के सदस्य आदि उपस्थित रहे।

खुले में गंदगी करने पर 11 व्यक्तियों पर जुर्माना
गंदगी करने वालों की सूचना स्पॉट फाइन दल को दें

रतलाम 16 नवम्बर । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं, मलबा डालकर अतिक्रमण करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाइन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 16 नवम्बर को 11 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार खुले में गंदगी करने पर ओमवती बाई ओल्ड ग्लोबस कालोनी पर 5000₹ विजय दो बत्ती पर 500₹ नारायण नयागांव अशोक दो बत्ती, रामू जाटव अमृत सागर पर 100.100₹ बुरहान अमृत सागर, अमन, रमेश, सुरेन्द्र बाजन बस स्टैंड, वात्सल्य स्टोर, भारत न्यू रोड, रमेश दो बत्ती पर 50.50 रुपये का स्पॉट फाइन कर भविष्य में गंदगी ना करने की समझाईश दी।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है कि शहर को गंदा करने वाले नागरिकों, दुकानदारों आदि की जानकारी सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री एपी सिंह मोहन नं० 7471144930, झोन प्रभारी श्री पर्वत हाड़े मोहन नं० 7471144931, श्री किरण चौहान मोहन नं० 7471144932, श्री विनय चौहान मोहन नं० 8770535145, श्री विराट मेहरा 9770326691, स्पॉट फाइन दल के पवन झांझोट मोहन नं० 7000128812, आकाश षिन्दे मोहन नं० 9424075393, 7724981736 मनोज झांझोट मोहन नं० 6268449110, राकेश ललावत मोहन नं० 7000128812 को देकर नगर को साफ-स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

मुख्य मार्गों से अवैध अस्थाई अतिक्रमण हटाया

7 गुमटियां व अन्य सामग्री जब्त

रतलाम 16 नवम्बर । षहर के मुख्य मार्गोंए फुटपाथ आदि पर गुमटियांए ठेलेए अन्य सामग्री रखकर अतिक्रमण करने वालों पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार 16 नवम्बर मंगलवार को अतिक्रमण दल ने कार्यवाही करते हुए 7 गुमटियां व अन्य सामग्री जब्त की।

अतिक्रमण दल द्वारा अम्बेडकर मांगलिक भवन पोलोग्राउण्ड रोडए पावर हाउस रोडए पर अस्थाई अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जिसके तहत 7 अवैध अस्थाई गुमटियां हटाकर जब्त की गई इसके अलावा पावर हाउस रोड से रेडिमेड गारमेंट की दुकानों के सामने रखे सामान को जब्त किया गया साथ ही पोलोग्राउण्ड के पास से मूर्ति वालो को हटाया गया। नगर निगम द्वारा यह कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

16 नवम्बर को 75 टन से ज्यादा कचरा जुलवानिया पंहूचा

रतलाम 16 नवम्बर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर.घर से पृथक.पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले.सूखे कचरे व सड़को व नाले.नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया टे^अ चिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा है जिसके तहत 16 नवम्बर मंगलवार को 75 टन से अधिक कचरा जुलवानिया टे^अ चिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

16 नवम्बर मंगलवार को डम्पर से 32940ए टे^अ कटर से 5310ए काम्पेक्टर सूखा कचरा 20390 व काम्पेक्टर गीला कचरा 16935 किलो इस तरह कुल 75575 किलो कचरा जुलवानिया टे^अ चिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

4276 पेंषन हितग्राहियों का हुआ भौतिक सत्यापन

पेंषन पाने वाले हितग्राही अपना भौतिक सत्यापन करवायें

वाईवार केन्द्रों व घर.घर जाकर किया जा रहा है सत्यापन

रतलाम 16 नवम्बर । रतलाम षहर के सामाजिक सुरक्षाए इंदिरा गांधी राश्ट्रीय वृद्धा पेंषनए राश्ट्रीय विधवा पेंषनए राश्ट्रीय निःषक्त पेंषनए सामाजिक सुरक्षा वृद्धा पेंषनए विधवा पेंषनए निःषक्त पेंषनए मानसिक बहुविकलांग पेंषन प्राप्त करने वाले

हितग्राहियों का शासन निर्देशानुसार भौतिक सत्यापन वार्ड दरोगा व नियुक्त कर्मचारियों द्वारा घर-घर जाकर व वार्डवार बनाये गये केन्द्रों पर किया जा रहा है जिसके तहत 15 नवम्बर सोमवार तक 4276 पंेषन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन कर 40 प्रतिषत कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

नगर निगम द्वारा पंेषन पाने वाले हितग्राहियों से अपील की जाती है कि वे वार्ड दरोगा व नियुक्त कर्मचारियों को आवश्यक दस्तावेज बीपीएल राशन कार्डए समग्र आईडीए बैंक खाते की पास बुकए निवासीए जन्मए आयुए चिकित्सकए निःषक्तताए आयकर दाता ना होए पति की मृत्यु का प्रमाण.पत्रए अंक सूचीए मतदाता सूचीए मतदाता परिचय.पत्रए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जारी जाब कार्डए उपलब्ध कराकर या वार्डवार बनाये केन्द्र वार्ड 1 अम्बेडकर मांगलिक भवन गांधी नगरए वार्ड 2 रामकला सभागृह लक्ष्मणपुराए वार्ड 3 राठौड़ समाज धर्मशालाए वार्ड 4 महर्शी दयानन्द वैदिक विद्यालयए वार्ड 5 गुरु रामदास स्कूल विनोबा नगरए वार्ड 6 मार्निंग स्टार स्कूल इंदिरा नगरए वार्ड 7 अलकापुरी कम्युनिटी हॉलए वार्ड 8 संतनामदेव पब्लिक स्कूल विनोबा नगरए वार्ड 9 साईं ऐकेडमी स्कूल 80 फीट रोडए वार्ड 10 सिंधी गुरुद्वारा मोहन नगरए वार्ड 11 बोधी स्कूल डोंगरे नगरए वार्ड 12 सुमंगल गार्डन कस्तुरबा नगरए वार्ड 13 अम्बेडकर कम्युनिटी हॉल जवाहर नगरए वार्ड 14 सरस्वती स्कूल काटजू नगरए वार्ड 15 मांगलिक भवन सुभाश नगरए वार्ड 16 काष्यप सभागृह सागोद रोडए वार्ड 17 उत्कृश्ट स्कूल सागोद रोडए वार्ड 18 शांति निकेतन टाटा नगरए वार्ड 19 राधाकृशण प्राथमिक विद्यालय दीनदयाल नगरए वार्ड 20 सरस्वती स्कूल अमृत सागरए वार्ड 21 नरसिंह वाटिका सिलावटो का वासए वार्ड 22 मानस भवन मोती नगरए वार्ड 23 ज्योति कान्वेंट स्कूल बाजाली नगरए वार्ड 24 सब्जी फिरोस जमातखाना सायर चबुतराए वार्ड 25 सगरवंशी माली समाज धर्मशालाए वार्ड 26 संतमीरा स्कूल थावरिया बाजारए वार्ड 27 जमातखाना बैरानीपुराए वार्ड 28 मांगलिक भवन दिलीप नगरए वार्ड 29 डीआरपी लाईन आनन्द कालोनीए वार्ड 30 काजीखान की मस्जिद जावरा रोडए वार्ड 31 शासकीय प्राथमिक स्कूल डोसीगांवए वार्ड 32 उजाला पैलेस स्टेशन रोडए वार्ड 33 लायंस हॉल पावर हाउस रोडए वार्ड 34 रोटरी हॉल अजंता टॉकिज रोडए वार्ड 35 मेंहदीकुई बालाजी नगर निगमए वार्ड 36 कान्वेंट स्कूल मित्र निवास रोडए वार्ड 37 लॉ कॉलेज आनन्द कालोनीए वार्ड 38 जमातखाना बैरानीपुराए वार्ड 39 शासकीय प्राथमिक

स्कूल बैरानीपुराए वार्ड 40 श्रीमाली धर्मशालाए वार्ड 41 मोहन टॉकिजए वार्ड 42
माहेष्वरी धर्मशाला कसारा बाजारए वार्ड 43 गणेश मांगलिक भवन रामबागए वार्ड 44
बोहरा कम्युनिटी हॉल बोहरा बाखलए वार्ड 45 शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल माणक
चौकए वार्ड 46 आईएमए हॉल राजेन्द्र नगरए वार्ड 47 मदरसा तालीमुल कुरआन
नयापुरा हाट रोडए वार्ड 48 सूरजहॉल वेदव्यास कालोनीए वार्ड 49 सिखवाल धर्मशाला
ब्राम्हणों का वास तथा नगर निगम के आईटी सेल में आवश्यक दस्तावेजों के साथ
उपस्थित होकर अपना भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से करवायें।

नगर निगम द्वारा अब तक 7564 आयुशमान कार्ड बनाये गये
निगम के आईटी सेल में हितग्राही बनवायें आयुशमान कार्ड

रतलाम 16 नवम्बर । आयुशमान भारत 'श्निरामयम' ' योजना अन्तर्गत
रतलाम नगर के पात्र हितग्राहियों के निःशुल्क बनाने का कार्य नगर निगम के आईटी
सेल कार्यालय में कार्यालयीन समय में बनाये जा रहे है जिसके तहत 1 अक्टूबर से
16 नवम्बर तक 192 हितग्राहियों के कार्य बनाये जा चुके है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि गरीब एवं असहाय परिवारों
पर बीमारियों पर खर्च होने वाले आर्थिक बोझ एवं गुणवत्तापूर्वक इलाज समय पर
उपलब्ध कराये जाने हेतु आयुशमान भारत 'श्निरामयम' ' योजना के तहत नगर
के बेश रहे पात्र हितग्राहियों के आयुशमान कार्ड नगर निगम के विकास शाखा स्थित
आईटी सेल में बनाये जा रहे है। नगर निगम विकास शाखा स्थित आईटी सेल में
नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा 41 दिनों में 192 हितग्राहियों के कार्य बनाये
जा चुके है। इससे पूर्व वार्डवार गठित दलों व उचित मूल्य की दुकानों पर 7316 कार्ड
बनाये गये थे इस तरह अब तक 7564 आयुशमान कार्ड बनाये जा चुके हैं।

आयुशमान कार्ड बनाने हेतु नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों को निगम आयुक्त श्री
झारिया ने निर्देशित किया है कि रतलाम नगर के बेश रहे हितग्राहियों के आयुशमान
कार्ड निःशुल्क बनाये जाना है। पात्र हितग्राहियों और उनके परिवार सदस्यों का
पंजीयन किये जाने हेतु आधार कार्ड व समग्र आईडी दस्तावेज के रूप में लिये जावें।

2105 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए
स्वरोजगार ऋण से 30 हितग्राही हुए लाभान्वित

पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 16 नवम्बर । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हें प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होंने प्रथम कार्यशील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हें संकल्प से सिद्धी विषेश अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु 2025 हितग्राहियों को राशि रूपये 10ए000६ तथा द्वितीय कार्यशील पूंजी हेतु 80 हितग्राहियों को राशि रूपये 20ए000६ ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 40 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 3 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुकए आधार कार्डए पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही

15 हजार रूपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राशि होगी वसूल

रतलाम 16 नवम्बर । षहर की मुख्य सड़के सैलाना रोडए सागोद रोडए महू रोडए स्टेशन रोड सहित अन्य सड़को के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हें तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गठित दलो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घण्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलो को निर्देशित किया है षहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घण्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जाये।

नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

डेंगू से बचाव हेतु प्रत्येक झोन में एक.एक डबल बैरल फॉगिंग मशीन से कीटनाशक दवा का छिड़काव निरंतर जारी

रतलाम 16 नवम्बर। कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुशोत्तम के निर्देशानुसार नागरिकों को मच्छर जनित डेंगू व मलेरिया जैसी बीमारी से बचाव हेतु नगर प्रत्येक झोन में एक.एक डबल बैरल फॉगिंग मशीन से कीटनाशक दवा का छिड़काव का कार्य निरंतर जारी है।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने इस अवसर पर बताया कि शहर में बढ़ रहे डेंगू व मलेरिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों पर नियंत्रण हेतु कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुशोत्तम के निर्देशानुसार प्रत्येक झोन में एक.एक डबल बैरल फॉगिंग मशीन से नगरनिगम व मलेरिया विभाग द्वारा रूट चार्ट अनुसार सुबह 05:30 से 08:00 बजे तक व शाम को 06:00 से रात 10:00 बजे तक किया जा रहा है साथ ही प्रत्येक वार्ड में एक.एक हैण्ड स्प्रे मशीन से भी कीटनाशक दवा का छिड़काव किया जा रहा है।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 16 नवम्बर । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुशोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना 2019 संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों व दुकानदारों व व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं हों। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 16 नवम्बर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर ए हैल्पर ए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर ए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर ए हैल्पर ए वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर ए दुकान ए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर ए दुकान ए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी व वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 16 नवम्बर । स्वच्छ सर्वेक्षण.2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर.1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है ए जिसके तहत वार्डों की सड़क ए गली ए सार्वजनिक स्थल ए नाले.नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी व वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगी ए कचरे के ढेर ए नाले.नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ.सफाई का दायित्व झोन प्रभारी व वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ.सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचारजसंविण्हेमन्तध16ण11ण2021धनपाणनिगमए रतलामण